



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 590 राँची, शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2022

संख्या-4/नियुक्ति-01-02/2022 का. 6455--झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2021 के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा श्री अंकित बड़ाईक (अनुक्रमांक 52278495) की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 4488 दिनांक 08.07.2022 द्वारा श्री बड़ाईक को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में मूल कोटि के वेतनमान (रू० 9300-34,800/- ग्रेड पे- 5400 रू०, सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-9) में परीक्ष्यमान उप समाहर्ता के रूप में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योगदान की तिथि से औपबधिक रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया था।

2. उपर्युक्त अधिसूचना की कंडिका III में अभ्यर्थी को पदस्थापन हेतु श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से योगदान देना था।

3. श्री अंकित बड़ाईक (अनुक्रमांक 52278495) ने दिनांक 10.09.2022 को विभाग में प्रेषित ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया कि वे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी, उत्तराखण्ड में प्रशिक्षणरत रहने के कारण उप समाहर्ता के पद पर प्रशिक्षण हेतु योगदान नहीं करेंगे।

4. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री अंकित बड़ाईक (अनुक्रमांक 52278495) की परीक्ष्यमान उप समाहर्ता के पद पर की गई नियुक्ति को रद्द किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव।
